एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या–37/2020

**पुलिस महानिदेशक,**
**उत्तर प्रदेश**
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ–226001
दिनांकः अक्टूबर 22, 2020

**विषयः** मा0 उच्च न्यायालय में योजित जमानत प्रार्थना पत्रों/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर ससमय प्रस्तरवार आख्या व सम्बन्धित अभियोगों की केस डायरी उपलब्ध कराने हेतु दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय,

इस मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रों/अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर ससमय प्रस्तरवार आख्या तथा अभियोगों से सम्बन्धित केस डायरी की प्रतियां शासकीय अधिवक्ता कार्यालय को सम्बन्धित जनपदों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं, जिसके कारण मा0 न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। मा0 उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्रों पर ससमय प्रस्तरवार आख्या व सम्बन्धित अभियोगों की केस डायरी उपलब्ध कराने हेतु इस मुख्यालय से समय–समय पर परिपत्र के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं। इस सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा पार्श्वांकित निर्गत परिपत्र अवलोकनीय हैं।

| |
|---|
| डीजी परिपत्र सं0–51/19 दि0 05.12.2019 |
| डीजी परिपत्र सं0–24/18 दि0 24.05.2018 |
| डीजी परिपत्र सं0–11/17 दि0 22.05.2017 |
| डीजी परिपत्र सं0–34/16 दि0 10.06.2016 |
| डीजी परिपत्र सं0–30/15 दि0 28.04.2015 |
| डीजी परिपत्र सं0–24/15 दि0 15.04.2015 |
| डीजी परिपत्र सं0–71/14 दि0 24.11.2014 |
| डीजी परिपत्र सं0–65/14 दि0 17.10.2014 |
| डीजी परिपत्र सं0–71/13 दि0 13.12.2013 |

2. प्रायः देखने में आ रहा है कि मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का अनुपालन सम्यक् रूप से नहीं किया जा रहा है।

3. जमानत प्रार्थना पत्रों/रिटों के सम्बन्ध में समय से प्रस्तरवार आख्यायें दाखिल किये जाने एवं उनके प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्रों में समय से प्रस्तरवार आख्या प्रेषित न किये जाने वाले प्रकरणों में सुधार न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि जनपदों के नोडल पुलिस अधिकारी द्वारा अपने जनपद में कोई अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति उचित नहीं है।

Scanned by CamScanner

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित जमानत प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में निर्गत पूर्व निर्देशों का जनपद स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये एवं अपने–अपने जनपदों से मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल जमानत प्रार्थना पत्रों/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर प्रस्तरवार आख्या व सम्बन्धित अभियोगों की केस डायरी की प्रतियॉ सुसंगत अभिलेखों सहित सम्बन्धित जनपदों के पैरोकारों के माध्यम से संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ में समय से प्राप्त कराना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 न्यायालय के समक्ष राज्य/पुलिस का पक्ष शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जा सके। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय से सम्बन्धित है, अतः शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(एच0सी0 अवस्थी)**

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपिः** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री शिव कुमार पाल, शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पत्र संख्या–11457/GA/HC/AllD दिनांक 09.10.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. पुलिस महानिदेशक, ई.ओ.डब्लू./एस.आई.टी./सी.बी.सी.आई.डी./सहकारिता, उ0प्र0।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे/अभियोजन/ए.सी.ओ./ए.टी.एस./साइबर क्राइम, उ0प्र0
5. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।
6. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
7. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
8. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner